

अति आवश्यक
कोर्ट केस
सी०ओ०सी०पी०
प्रेषक

महानिदेशक, खजाना व लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

सचिव,
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड,
चण्डीगढ़।

यदि कमांक टीए-हर-4टी/2025/

दिनांक-

विषय:- Regarding implementation of decision in respect of COCP No. 1068 of 2025 in CWP 1281 of 2020 Shyam Sunder and others Vs Anurag Rastogi and Another, CWP No. 1281/2020 of Shyam Sunder and others Vs State of Haryana and others, CWP No. 9415/2019 Pushpender Singh Vs State of Haryana and others, CWP No. 26/2022 Anil Kumar Garg and others Vs State of Haryana and another, CWP No. 13040/2020 Ramesh Kumar Vs State of Haryana and others.

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र कमांक 3718019 टीए-हर-4टी/2025/498-503 दिनांक 04.02.2025 तथा पत्र कमांक टीए-हर-4टी/2025/1311-14 दिनांक 10.03.2025 के सन्दर्भ में। (प्रति संलग्न)

विषयाधीन मामले में उपरोक्त पत्रों द्वारा आपको माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों की पालना में आपके कार्यालय में कार्यरत रहे याचिकाकर्ताओं को केवल अनुभाग अधिकारी पार्ट-1 (स्टाफ गैप अरेन्जमेंट) की कार्यअवधि के दौरान नियमित अनुभाग अधिकारी के पद के वेतनमान में माननीय न्यायालय आदेशानुसार वेतन नियत करते हुए एरियर इत्यादि का भुगतान दिनांक 25.04.2025 तक करते हुए विभाग को सूचित करने हेतु लिखा गया था ताकि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना से बचा जा सके परन्तु खेद के साथ सूचित किया जाता है कि इस मामले में पूर्ण सूचना/ दस्तावेज अभी तक इस विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अति शीघ्र करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें। यदि निर्धारित तिथि तक कोई सूचना विभाग में प्राप्त नहीं होती है तो माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ की अवमानना के लिए संबंधित विभाग स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे अति आवश्यक समझा जाए।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़

पृ० कमांक टीए-हर-4टी/2025/2534

दिनांक-22/04/25

इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ तथा आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, चण्डीगढ़।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, नंगल (पंजाब)।
3. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, तलवाड़ा (पंजाब)।
4. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश)।

✓6. श्री सुनील बहल, प्रोग्रामर, खजाना तथा लेखा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ कार्यरत एन.आई. सी, हरियाणा सिविल सचिवालय को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इसे विभाग की साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़